14वीं विधानसभा, 10वाँ सत्र

प्रश्न सं. 4546

अतारांकित

सरकार ने इलैक्ट्रोपैथी लीगल

श्री घनश्याम तिवाड़ी

प्रश्न–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने इलैक्ट्रोहोम्योपैथी के विधिक बिंदुओं का जांच के लिए किसी समिति का गठन किया था ? यदि हां, तो कब एवं सदस्य कौन–कौन थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समिति द्वारा कोई रिपोर्ट सरकार को पेश की गयी है ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार समिति की रिपोर्ट को लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर–

(1) इलैक्ट्रोपैथी पद्धति के लीगल आस्पेक्ट की जांच हेतु दिनांक 20.04.2015 को निम्न समिति गठित की गई –

1. सरदार गुरुचरण सिंह गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, (अध्यक्ष)
2. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता
3. श्री बसन्त सिंह छाबा, सहायक सोलि. जनरल भारत सरकार
4. श्री भगवान सहाय कुमावत, सहायक विधि परामर्शी, आयुर्वेद विभाग

उक्त समिति के अतिरिक्त इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक एवं विधिक पहलुओं की जांच हेतु एक समिति का गठन सरकार द्वारा दिनांक 14.07.2017 को किया गया हैं। समिति के सदस्यों विवरण निम्नानुसार हैं–

1. प्रोफेसर बी.आर.छीपा कुलपति श्री केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (अध्यक्ष)
2. प्रोफेसर धनजंय अग्रवाल, विभागाध्यक्ष नेफ्रोलॉजी विभाग,
   सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर (सदस्य)
3. डॉ. रविन्द्र पालीवाल, प्रोफ़ेसर उद्यान विभाग एवं निदेशक (एच.आर.डी.)
   कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, जयपुर (सदस्य)
4. वैद्य श्री राम तिवाड़ी, विशेषाधिकारी, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,
   जयपुर (सदस्य सचिव)

(2) जी हाँ। दिनांक 20.04.2015 व 27.09.2017 को गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) जी हाँ। इलैक्ट्रोपेथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता हेतु राजस्थान इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा विधेयक, 2018 राजस्थान विधानसभा में पारित हो चुका है।